



प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 128 /2025

दिनांक- 06.04.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 06.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना जीयनपुर -साइबर फ्राड के कुल 23500/- रुपये आवेदक को वापस कराया गया ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

वादी विजय प्रसाद यादव पुत्र रामप्रसाद यादव निवासी जमीन हरखोरी थाना जीयनपुर आजमगढ़ द्वारा दिनांक 08.11.2024 को फोन पे एप्प के माध्यम से गलती से दूसरे खाते में 23,500 रुपये चला गया। उक्त के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा साइबर हेल्प लाइन न0 1930 पर काल करके अपनी शिकायत दर्ज करायी गयी। शिकायत की जाँच उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय द्वारा किया गया।

रुपये वापसी का विवरण-

साइबर फ्राड सम्बन्धित प्रकरण में साइबर फ्राड हुये पैसे को आवेदक को वापस दिलाने व थानाध्यक्ष के नेतृत्व में उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय द्वारा आवेदक विजय प्रसाद यादव पुत्र रामप्रसाद यादव निवासी जमीन हरखोरी थाना जीयनपुर आजमगढ़ द्वारा दिनांक 08.11.2024 को फोन पे एप्प के माध्यम से गलती से दूसरे खाते में 23,500 रुपये भेजे गये रुपये को आवेदक को वापस/बरामद कराया गया।

बरामदगी का विवरण:- आवेदक द्वारा दिनांक 08.11.2024 को फोन पे एप्प के माध्यम से गलती से दूसरे खाते में 23,500 रुपये भेजे गये रुपये को आवेदक को वापस/बरामद कराया गया। 08.11.2024 को फोन पे एप्प के माध्यम से गलती से दूसरे खाते में 23,500 रुपये भेजे गये रुपये वापस /बरामद पाकर थाना जीयनपुर आजमगढ़ पुलिस व उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय का धन्यवाद दे रहे हैं।

बरामद करने वाली टीम -

- 1.जितेन्द्र बहादुर सिंह थानाध्यक्ष जीयनपुर आजमगढ़
2. उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
- 2.क0आ0 शहादत अंसारी थाना जीयनपुर आजमगढ़



02- थाना तरवां अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार -

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 06.04.2025 को उ0नि0 जयप्रकाश मय हमराह के देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित वारण्टी में रस्तीपुर में मौजूद थे कि मुखवीर खास की सूचना पर अभियुक्त राहुल यादव पुत्र सीता राम यादव निवासी ऊचहुआ थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को बॉसगाँव मोड बहद ग्राम बॉसगाँव के पास से जामा तलाशी के दौरान अवैध एक अदद देशी तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय 18.35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 72/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां आजमगढ़

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 72/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 0149/2022 धारा 34,323,352,504,506 भादवि थाना तरवां जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 -- 0012/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां, आजमगढ़



03.थाना- कोतवाली चोरी के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार -

पूर्व की घटना/इतिहास

वादी शशिकान्त पाण्डेय एडवोकेट पुत्र श्री सुधाकान्त पाण्डेय सा० जमालपुर काजी थाना तहबपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये लिखित प्रार्थना पत्र कि मैं दिवानी न्यायालय में वकालत करता हूं, प्रतिदिन की भांति दिनांक 6.6.2019 को समय करीब लगभग 9 बजे अपनी सुपर स्पेलेण्डर मोटर साईकिल काली रंग गाड़ी नं UP50AA8100 को लेकर कचहरी मे आया था और न्यायालय परिसर में खड़ा कर अपने चेम्बर में चला गया प्रार्थी जब घर जाने के लिए वापस लौटा तब देखा कि प्रार्थी कि मोटर साईकिल चोरी हो गई, प्रार्थी कि मोटर साईकिल चोरी हो गई प्रार्थी ने काफी छान -बिन किया तथा आस पास के लोगो से पुछा तो अब तक कोई पता नही चला उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 7.6.19 को **मु०अ०सं० 191/19 धारा 379 भादवि** दर्ज किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण

दिनांक 6.4.25 को उ०नि० अजय कुमार सिंह, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित/प्रकाश में आये **अभियुक्त अंकित यादव पुत्र स्व० मुखराम यादव निवासी भगवानपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़** उम्र 22 वर्ष को समय 00.30 बजे बवाली मोड़ से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण:-

अंकित यादव पुत्र स्व० मुखराम यादव निवासी भगवानपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष **आपराधिक इतिहास -**

- 1.मु०अ०सं०0337/2024 धारा 120बी,379,411,413,414,467,468,471 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
- 2.मु०अ०स०0443/2024धारा 112(2),303(2),317(2),317(4) 317(5),336(3),338,340(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
3. मु०अ०स०0462/2024 धारा 112(2),303(2),317(2),317(4),317(5),336(3),338,340(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
4. मु०अ०स०0528/2024 धारा 112(2),303(2),317(2),317(4),317(5),336(3),338,340(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
5. मु०अ०स०0555/2024 धारा 112(2),303(2),317(2),317(4),317(5),336(3),338,340(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
6. मु०अ०स०0654/2024 धारा 112(2),303(2),317(2),317(4),317(5),336(3),338,340(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़।
7. मु०अ०सं०0592/202 धारा 379,411, भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़ ।



04. थाना गम्भीरपुर चोरी के मोटरसाइकिल के पार्ट्स व अवैध तमन्चा व कारतूस साथ वाहन चोर गिरफ्तार-

गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक 06.04.2025 को उ0नि0 श्री संदीप दूबे चौकी प्रभारी गम्भीरपुर मय हमराह, द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग के दौरान **अभियुक्त शशिकान्त उर्फ लाला उर्फ मुलायम पुत्र राजेन्द्र चौहान उर्फ रजिन्दर चौहान निवासी ग्राम उत्तरगांवा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़** को एक अदद तमन्चा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व चोरी के मोटरसाइकिल के पार्ट के साथ चिवटही मोड़ से समय करीब 13.30 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामद तमन्चा कारतूस के सम्बंध में थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 92/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया है। बरामद चोरी के मोटरसाइकिल के पार्ट के सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 192/2024 धारा 379 भा0द0वि0 पूर्व से पंजीकृत हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1-शशिकान्त उर्फ लाला उर्फ मुलायम पुत्र राजेन्द्र चौहान उर्फ रजिन्दर चौहान निवासी ग्राम उत्तरगांवा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1-एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व मोटरसाइकिल के पार्ट

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 51/2022 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 209/2022 धारा 401/413/414/420/441/473 भा0द0वि0 थाना गम्भीरपुर आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 192/2024 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 58/2025 धारा 115(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 118/2025 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 92/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

